अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–01/2017

कैला महली वगै0 बनाम रती राम महली वगै0

12/1/2022

अपीलार्थी कैला महली एवं फगुना महली पिता– स्व0 बंधु महली, उगना महली पिता–स्व0 अधना महली, मौजा–पलानी, थाना– पतरातू, जिला– रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0 04/15–16 रती महली बनाम उदय अग्रवाल में दिनांक–16.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है। तदोपरांत उभय पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचना निर्गत करते हुए दिनांक–02.02.2017 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रथम पक्ष अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विपक्षी क्रमांक–01 रती राम महली के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 ए0 भूमि से संबंधित भू–वापसी वाद दायर किया गया है एवं गलत वंशावली प्रस्तुत करते हुए खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा कर भू–वापसी आदेश पारित करवाया गया है, जबकि विपक्षी क्रमांक–01 का प्रश्नगत् भूमि मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ से संबंधित कोई सरोकार नहीं है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में पंजी–II की कम्प्युटराईज्ड प्रति प्रस्तुत किया गया। जिसमें पंजी–II के भाग सं0–01, पृष्ठ सं0–109 पर मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ की जमाबंदी बन्धु महली वो उगन महली, दोनों के पिता–अघना महली के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत् भूमि के वैध उत्तराधिकारी का वंशावली प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् है :–

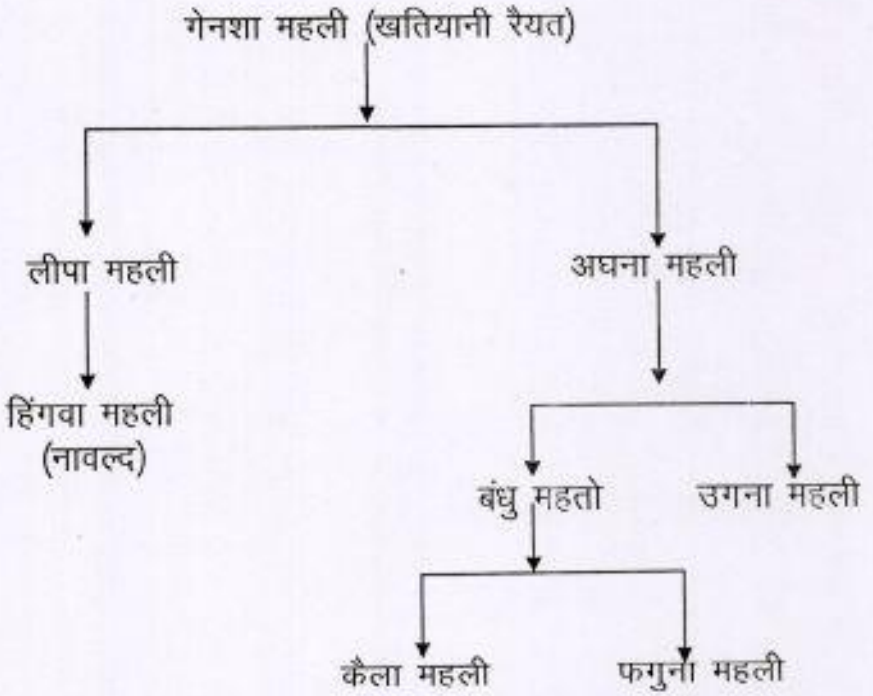

उक्त वंशावली के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि के वैध वारिसान कैला महली, फगुना महली, दोनो के पिता–स्व0 बंधु महली एवं उगना महली हैं। द्वितीय पक्ष हिंगवा महली के पुत्र होने का दावा करते हैं एवं गलत वंशावली प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत् भूमि के खतियानी रैयत लीपा महली एक पुत्र हिंगवा महली को छोड़कर फौत कर गए। हिंगवा महली जो नाबल्द थे, अपनी पत्नी के मृत्यु हो जाने के पश्चात् दूर के संबंधी मसो0 बचनी, पति–स्व0 जानकी महली, ग्राम+पो0–गिद्दी, जिला–हजारीबाग, जो कि पूर्व से ही दो नाबालिग बच्चों मंगरा महली एवं बिरसा महली की माँ थी, को जीवन–यापन के उद्देश्य से अपने पास रखे हुए थे। मसो0 बचनी अथवा रती राम महली का प्रश्नगत् भूमि से संबंधित कोई सरोकार नहीं है। रती राम महली द्वारा उदय अग्रवाल, पिता–अज्ञात, ग्राम–पलानी, पो0–पतरातु, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में प्रश्नगत् भूमि अपना होने का झूठा दावा पेश करते हुए, भू–वापसी वाद दायर किया गया एवं उदय अग्रवाल के मिलीभगत से उन्हें निम्न न्यायालय में लगातार अनुपस्थित करवाया गया ताकि वे भविष्य में अन्य न्यायालय अथवा राजस्व कार्यालय में प्रश्नगत् भूमि पर अपना स्वत्व की भूमि होने का दावा पेश कर सकें, कि मंशा रखते हुए एकपक्षीय भू–वापसी का आदेश पारित करवाया गया। जिसमें भूमि के वैध उत्तराधिकारी कैला महली, फगुना महली, दोनो के पिता–स्व0 बंधु महली एवं उगना महली को न कोई जानकारी दी गई और न ही पक्षकार बनाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत् भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में Eviction वाद सं0–01/15 कैला महली बनाम् करीवा महली एवं अन्य दायर किया गया है। प्रथम पक्ष में विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद सं0–04/2015–16 में पारित आदेश को निरस्त करने एवं विपक्षी क्रमांक–01 का दावा प्रश्नगत् भूमि से खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में द्वितीय पक्षकार क्रमांक–01 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ से संबंधित गैर आदिवासी रैयत उदय अग्रवाल के द्वारा अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किए जाने के विरूद्ध भू–वापसी आवेदन दायर किया गया है। जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा वाद सं0–04/15–16 के माध्यम से भूमि की वापसी का आदेश पारित किया गया है। नियमतः विषयगत् वाद में भू–वापसी अपील उदय अग्रवाल के द्वारा भवदीय न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए था, परन्तु वर्तमान वाद कैला महली व अन्य के द्वारा भवदीय न्यायालय में दायर किया गया है, जो विधि–सम्मत् नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय में द्वितीय पक्ष का वंशावली प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत् है :–

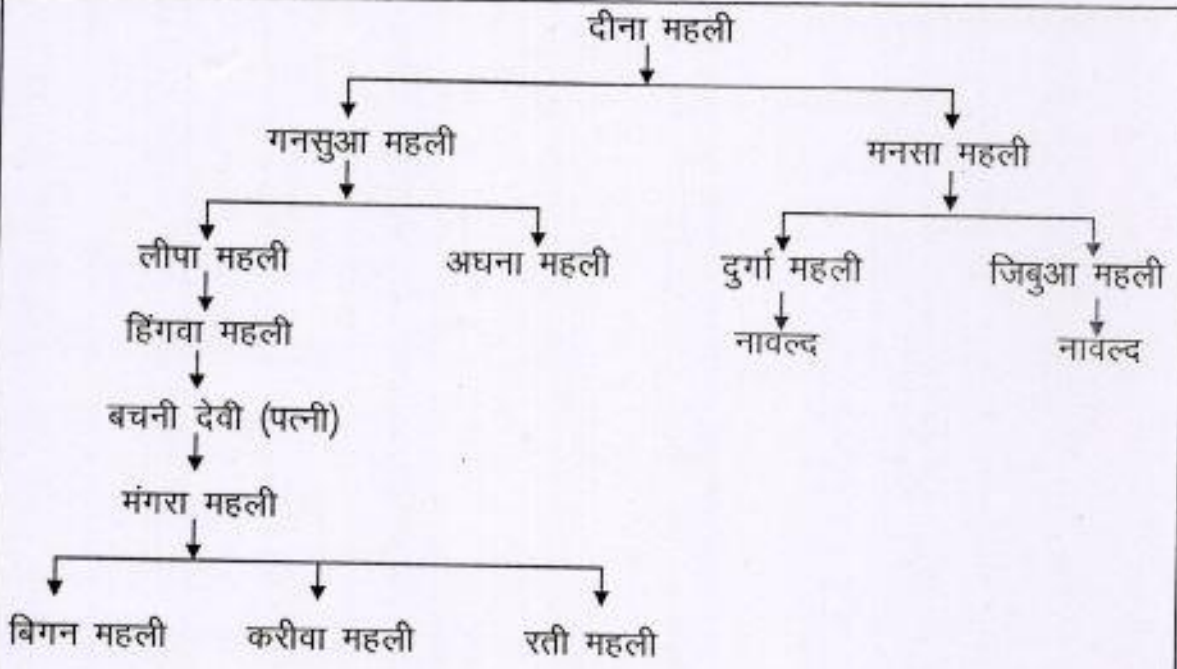

जिसके संबंध में अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा अपने पत्रांक–367, दिनांक–05.02.2016 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उदय अग्रवाल द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर बिना कोई कागजात के चिमनी भट्ठा लगाया गया है एवं शेष भूमि पर ईंट निर्माण हेतु मिट्टी काटा जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित भू–वापसी आदेश विधि–सम्मत् है। जिससे उभय पक्षों को भूमि संरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रथम पक्ष का यह दावा कि प्रश्नगत् भूमि पर द्वितीय पक्ष का कोई सरोकार नहीं है, सरासर गलत है। विषयगत् मामला उभय पक्षों के बीच स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय प्रभावकारी आदेश पारित किये जाने निमित सक्षम न्यायालय नहीं है। स्वत्व का निर्धारण व्यवहार न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् ही प्रभावकारी आदेश पारित किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत् भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, पतरातु ने अपने पत्रांक–367, दिनांक–05.02.2016 के द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम–पलानी, थाना सं0–12, खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में लीपा महली वो अघना वल्द गनसुवा कौम महली का नाम दर्ज है। जो आवेदक के परदादा हैं। पंजी-II के पेज सं0–20/I पर आवदेक की दादी मो0 बचनी के नाम से रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष उदय अग्रवाल के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थानीय जाँच एवं ग्रामीणों से पूछ–ताछ से पता चला कि द्वितीय पक्ष (उदय अग्रवाल) के द्वारा उक्त भूमि के अंश भाग में चिमनी ईंट भट्ठा लगाया गया है था शेष भाग में ईंट निर्माण हेतु मिट्टी काटकर ढेर किया गया है। उक्त भूमि आदिवासी रैयत खाते की भूमि है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी द्वारा विगत 7–8 वर्षों से आवेदक

को भूमि से बेदखल किये हुए हैं। उपरोक्त तथ्य के आलोक में भू–वापसी वाद की अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत् भूमि के संबंध में भू–वापसी अपील वाद सं0–04/2015–16 में आदेश पारित किया गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द्वितीय पक्ष को ग्राम–पलानी, थाना सं0–12, खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ भूमि से उच्छेदित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को भूमि वापस की जाती है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों, अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा प्रस्तुत भूमि जाँच प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ की जमाबंदी पंजी-II के भाग सं0–01, पृष्ठ सं0–109 पर बन्धु महली व उगन महली, दोनों के पिता–अघना महली का नाम दर्ज है। जिस पर उभयपक्षों के द्वारा अपनी–अपनी भूमि होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही उदय अग्रवाल के द्वारा अवैध तरीके से आदिवासी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे उच्छेदित करने निमित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कागजातों आदि के अनुशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित भू–वापसी आदेश विधि–सम्मत् है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, पतरातु को आदेश दिया जाता है कि मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 एकड़ भूमि के वर्तमान वैध जमाबंदीदार के पक्ष में भू–वापसी की कार्रवाई करें। साथ ही मौजा–पलानी के खाता सं0–20, प्लॉट सं0–428, रकवा–0.98 ए0 पर उभयपक्षों के द्वारा खतियानी रैयत का वैध उत्तराधिकारी होने का दावा पेश करने वाले सभी पक्षकार स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय स्वत्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, पतरातु को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.01.21 16:02:50 +05:30
Location: 192.168.0.11

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

12/1/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।